पश्चिम मध्य रेल.

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक विभाग भोपाल

पत्रांक / :पमरे / का–भो / 136 / 1 / एक्ट अप्रै. / भर्ती / 2019–20

दिनांक 03.02.2020

विज्ञापन कमांक 01 / 2019–20

विषयः–अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल।

Opening date of online application	Closing date of online applicaton
15.02.2020	15.03.2020

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में **570** एक्ट प्रशिक्षुओ की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है । योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15.03.2020 तक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करेः–

1.अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओ की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगीः–

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता/– अभ्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)

(Total 570 seats)

Sr. No.	Trade	Number of seats						अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
		SC	ST	OBC	EWS	UR	Total	
1	ELECTRICIAN	21	10	37	14	56	138	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)
2	FITTER	17	9	31	12	47	116	
3	WIREMAN	5	2	8	3	12	30	
4	WELDER (Gas and Electric)	5	3	9	3	14	34	
5	Computer Operator and Programming Assistant (COPA)	8	4	14	5	21	52	

—2—

03/02/2020

6	CARPENTER	4	2	8	3	11	28	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)
7	PAINTER	3	2	6	2	10	23	
8	A.C. MECHANIC	1	1	3	1	4	10	
9	MACHINIST	1	1	3	1	4	10	
10	STENOGRAPHER (HINDI)	0	0	1	0	2	3	
11	STENOGRAPHER (ENGLIGH)	0	0	1	0	2	3	
12	ELECTRONIC MECHANIC	2	1	4	2	6	15	
13	CABLE JOINTER	0	0	1	0	1	2	
14	DIESEL MECHANIC	5	2	8	3	12	30	
15	MASON	4	2	7	3	10	26	
16	BLACK SMITH (FOUNDRYMAN)	2	1	4	2	7	16	
17	SURVEYOR	1	1	2	1	3	8	
18	DRAUGHTSMAN CIVIL	1	1	3	1	4	10	
19	ARCHITECHTURAL ASSISTANT	2	1	3	1	5	12	
20	SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH)	1	0	1	0	2	4	

नोटः– अधिसूचना मे दर्शाये गये प्रशिक्षु सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई व बढाई जा सकती है।

—3—

1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर हेतु केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु येाग्य होंगे तथा इलेक्ट्रिशियन के पद हेतु केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे। विकलांगों के लिये आरक्षण नियमानुसार किया जायेगा।विकलांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

1.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेटिस हेतु भूतपूर्व सैनिक(Ex.Servicemen) उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(MPP)2002/6/10/ Dated 31.07.2006 [RBE No.101/2006]

(i) शान्ति समय के दौरान उन मृत/अक्षम सहित दिवंगत/अक्षम भूतपूर्व सेनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे

(ii) अवकाश प्राप्त सैनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे

(iii) कार्यरत जवानो /आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे

(iv) कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चे

(v) भूतपूर्व सैनिक

1.3 विकलांगो एव भूतपूर्व सैनिकों की सीटे अलग नही है बल्कि कुल सीटों की संख्या मे सम्मिलित है।

2.आयुसीमाः—

2.1 अधिसूचना दिनांक 03.02.2020 को आवेदक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो।

2.2 अजा/अजजा के अभ्यार्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक विकलांग के अभ्यार्थी को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छुट देय है। भूतपूर्व सैनिको को भी नियमानुसार छुट रहेगी।

3.फीस :—आवेदन शुल्क के रूप में रू. 100/— एवं पोर्टल शुल्क रू. 70/+ देय GST का भुगतान करना होगा। अनु.जा., अनु.ज.जा., शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क देय नही है। परन्तु पोर्टल शुल्क देय होगा । फीस Non refundable होगी।

4. **पारिश्रमिक /स्टाईफन्ड**—वर्तमान प्रचलित दरों से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

5. **आवेदन का तरीका**—

5.1 इच्छुक पात्र अभ्यार्थी www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते है।

5.2 आवेदन करने से पूर्व अभ्यार्थी स्वंय सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई—मेल आई.डी. दोनो स्वंय का हो एवं वैध हो क्योकि उम्मीदवार से सभी

03/02/2020

प्रकार का संप्रषण ई–मेल के माध्यम से होगा। नियमित रूप से ई–मेल आई.डी की जॉच करना अभ्यर्थी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध मे अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5.3 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, स्वंय की जन्मतिथी, 10 वीं के प्रमाणपत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी समान होना चाहिए । यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

5.4 यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग–अलग विवरणों के साथ भिन्न भिन्न ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नंबर के साथ भरने पर ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5.5 आवेदन पत्र में अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नंबर (जो कि "A" से शुरू होता है) दर्ज करना अनिवार्य है ।

6. चयन की प्रणाली–

6.1. उम्मीदवारों का चयन 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्ष अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नही होगी।)

6.2 यदि दो उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त किए है तो जो उम्मीदवार उम्र में बढा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हों तो उस परिस्थिती में जिस उम्मीदवार ने पहले 10वीं कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि इसमें भी समानता आती है तो उस परिस्थिति में अल्फाबेट आर्डर के अनुसार प्रधानता दी जाएगी ।

6.3 यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले मे यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।

6.4. यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारो द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार अन्य पिछडा वर्ग की रिक्त सीटों को भी अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

6.5. अपेक्षित एक्ट अप्रेटिस की संख्या के **2** गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा लिस्ट www.mponline.gov.inपर प्रकाशित की जायेगी एवं email द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में सीट खाली रह जाती है तो 2nd round verification के लिए वरीयता अनुसार बुलाया जायेगा।

03/02/2020

7. आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थियों को आर.डी.ए.टी. भोपाल की वेबसाईट www.apprenticesip.gov.in पर **APPLY** करना होगा जिसका प्रिंट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.1 RDAT की वेबसाईट पर APPLY करने की प्रक्रिया :–

जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यार्थियों को वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर APPRENTICE MENU के अंदर Apply for apprenticeship ऑपशन पर क्लिक करना होगा, फिर RDAT MADHYA PRDESH(BHOPAL) Region पर जाकर DIVISIONAL RAILWAY MANAGER/W.C.R./BHOPAL, के लिए apply करना होगा जिसका प्रिंट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता /ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

09. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। [Annexure-'A']

10. दस्तावेजो के सत्यापन के समय अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए।[Annexure-'B']

11. दस्तावेजो के सत्यापन के समय **EWS** के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।[Annexure-'C']

12. होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जायेगा तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

13. **एक्ट अप्रेटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे मे नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।**

14. ट्रेनिंग का करार–ट्रेड अप्रेटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिस का करार करना होगा।

14.1. यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तो का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु/जमानतदार को अप्रेटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के उपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।

15. जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है/या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, वे आवेदन करने के पात्र नही है।

03/07/2020

-6-

16. **चिकित्सा परीक्षण :–** जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बलाया जाता है उन सभी आवेदको को शासकिय प्राधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित , जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेटिस नियम 1992 के पैरा 4 (समय–समय पर संशोधित))के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (Annexure -D) ।

17. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी । सफल उम्मीदवारों को उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

18. उम्मीददार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा । यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूॅठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जावेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदानुसार अपनाया जायेगा।

20. आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:–

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित scanned copy अपलोड करने होंगे:–

20.1 SSC(Standard 10th) या समकक्ष परीक्षा की अंकसूची ।

20.2 प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो (10वी का प्रमाणपत्र/समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो) ।

20.3 NCVT/SCVT द्वारा जारी **NATIONAL TRADE CERTIFICATE OR PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE.**

20.4 SC/ST/OBC का जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित फारमेट (Annexure-A,B) के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

20.5 DISABILITY CERTIFICATE -निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

20.6 **DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE.**– भूतपूर्व सैनिक कोटे के विरूद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में DISCHRGE CERTIFICATE /SERVING CERTIFICATE अपलोड करना होगा।

Sd/- 03/02/2020

20.7 **<u>EWS उम्मीदवार</u>** निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

21. Engineering Graduate & Diploma Holdrs आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रृटि हुई हो, तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाईट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन आनलाईन सफलतापूर्वक भरे।

यदि आनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वंय आवेदन की होगी।

चयनित उम्मीदवारों की सूची पमरे की वेवसाइट <u>www.wcr.indianrailways.gov.in</u> एवं www.mponline.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई–मेल द्वारा किया जायेंगे। उम्मीदवारों का स्वयं का मोबाइल नं. एवं ई–मेल आईडी जो वैध हो, होना अनिवार्य है । इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– उम्मीदवार अपने Online भरे हुए आवेदन का प्रिंट आवश्यक अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बुलाए जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद, पहचान पत्र आधार कार्ड तथा पैन कार्ड, RDAT/भोपाल वेबसाईट पर **<u>APPLY</u>** किया गया प्रिंट आउट, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य प्रमाण पत्र, मेडीकल सर्टिफिकेट मद कमांक 16 के अनुसार व शैक्षिणिक योग्यता/ तकनीकी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्पयं सत्यापित प्रति का एक सेट तथा 4 पासपोर्ट साईज फोटो जो ऑन लाईन आवेदन पर लोड की गई है, लेकर उपस्थित होंगे।

संलग्नः–आवश्यक निर्देश,Annexure A,B,C,& D

02.12.2020

(स्वाती अग्रवाल)
कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

प्रतिलिपिः–महा.प्रबंधक (कार्मिक) जबलपुर को सूचनर्थ ।
मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल को सूचनार्थ
संबंधित शाखा अधिकारी भोपाल मंडल को सूचनार्थ

-8-

जिला नियोजन अधिकारी भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद कको सूचनार्थ

समस्त बी.टी.सी भोपाल मंडल को सूचनार्थ

सचिव,वे.से.रे.म.संघ / वे.से.रे.एम्प.यूनियन / ओ.बी.सी / एस.सी.एस.टी. एसोसिएशन भोपाल को सूचनार्थ

निदेशक, आर.डी.ए.टी.भोपाल / कानपूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य आदर्श आई.टी.आई. गोविन्दपुरा भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, गुना, शाजापुर खंडवा, हरदा को सूचनार्थ

मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक कोटा,जबलपुर / मुख्य. कारखाना प्रबंधक कोटा, निशातपुरा एवं समस्त शाखा अधिकारी भोपाल

सूचना पटल ।

Sd/- 03/02/2020

कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

Annexure 'A'

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

1. This is to certify that Shri/Smt/Kum* .... Son/Daughter* of Shri /Smt .... of village /town* .... District/Division* .... of state/Union Territory* .... belongs to the .... Caste/Tribe * which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under:

The Constitution (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) order , 1950
The Constitution (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951 [as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976].
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956.
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959 @ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962@
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order, 1964@
The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order , 1968@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order , 1968@
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order, 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

%2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory Administration

This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/* .... - Father/Mother of Shri /Smt./Kum* .... of village /town* .... District/Division* .... of state/Union Territory* .... who belongs to the .... Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in State/Union Territory* issued by the .... dated ....

%3. Shri/Smt/Kum* .... and/ or his/her * family, ordinarily reside(s) in village/town* .... of .... District/ Division* of the State/Union Territory* of ....

Signature ....

....

Designation

(With seal of office)

Place ....
Date ....

(*) Please delete the words which are not applicable
(@) Please quote specific presidential Order
(%) Delete the Paragraph which is not applicable.

Note: The term* ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe certificates:

i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/I[st] Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
ii. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
iv. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Note: ST candidates belonging to Tamilnadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Annexure 'B'

The format of the certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Smt/Kum* .... Son/Daughter* of .... Shri/Smt .... of village /town* .... District in .... State belongs to the .... community which is recognized as backward class under .... (indicates Sub-caste)

1) Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.186 dated 13th September 1993.
2) Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.163 dated 20th October 1994.
3) Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.88 dated 25th May 1995.
4) Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.210 dated 11th December 1996.
5) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.129 dated 8th July 1997.
6) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.164 dated 1st Sept. 1997.
7) Resolution No.12011/99/94-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.236 dated 11th Dec 1997.
8) Resolution No.12011/13/97-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.239 dated 3rd Dec.1997.
9) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.166 dated 3rd Aug.1998.
10) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.171 dated 6th Aug.1998.
11) Resolution No.12011/68/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.241 dated 27th Oct.1999.
12) Resolution No.12011/88/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.270 dated 6th Dec.1999.
13) Resolution No.12011/36/99-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.71 dated 4th April 2000.

Shri/Smt/Kum*.. and /or his/her * family ordinarily reside(s) in the .... District of the .... State. This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt (SCT) dated 8/9/1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES.) dated 09.03.2004.

(*) Please delete the words which are not applicable

District Magistrate/
Dy. Commissioner Etc.
(With seal of office)

Place ....
Date ....

(*) Please delete the words which are not applicable

a. The term "Ordinarily reside(s)" used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

b. Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificate issued by Gazetted Officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient)

c. The OBC certificate from the authorities only will be accepted:-

1 District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)/ * Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2 Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3 Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4 Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Annexure-C

Government of ....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ___________

Date: ___________

VALID FOR THE YEAR_________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter/wife of ____________________ permanent resident of ____________________, Village/Street ____________ Post Office ____________ District__________ in the State/Union Territory ____________ Pin Code__________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ________. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the ________ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office______________
Name ____________________
Designation ______________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

G. Srinivasan

Annexure

WEST CENTRAL RAILWAY

(To be Certified by the Government Authorized Doctor (Gazetted) not below the Rank of Assistant Surgeon of the Central/State Medical Services)

Name of the Candidate : ....

Father Name : ....

Category : ....

Date of Birth/Age : ....

Trade & Nam of Workshop/Unit : ....

Permanent identification marks 1..

2..

Photo to be attested by the Civil Surgeon who is giving the certificate with Signature and Seal

SN	Standard of Physical Fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	**Height ,Weight and Chest** Candidates should satisfy the following minimum standards, namely,:- Height : 137 centimeters ; Weight : 25.4 Kilogram ; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of Chest : Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted) to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	**EYES There** Should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggracation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity : *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades namely :- (1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver cum fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Shortfirer/Blaster(Mines) (9) Mate (Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Modular (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. *Substitute vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour vision : Not required.	
4	**EARS** Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.	
5	**SKIN** There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	

यह प्रमाण पत्र एक ही पेज में दोनों साइड होना आवश्यक है। -2-

Annexure-1

6	**SPEECH** Speech should preferably be without impediment.	
7	**ALIMENTARY SYSTEM** 1. Candidate should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication. 2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. 3. Liver should not be palpable or tender. 4. There should be no oral sepsis. 5. There should be no sugar in the urine. 6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocele or ischio-rectal abscess or hydrocele.	
8	**CARDIO VASCULAR SYSTEM** 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. 2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected. 3. There should be no sign of any cardiovascular disease	
9	**RESPIRATORY SYSTEM** Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	**GENITO URINARY SYSTEM** There should be no evidence of genitor urinary disease or any abnormality.	
11	**SKELETAL SYSTEM** 1. The function of all limbs should be within normal limits. 2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.	
12	**NERVOUS SYSTEM** There should be no evidence of any diseases of nervous system or of any mental disease.	
13	**GLADNULAR SYSTEM** There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	
14	**X'RAY OF LUNGS**	
15	**URINE SUGAR**	
16	**BLOOD GROUP**	

The above named candidate is free from evidence of any contagious or infectious disease. He /She is not suffering from any diseases which is likely to be aggravated by service or likely to render him/her unfit for service or to endanger the health of the public. He /She is also free from evidence of tuberculosis in any form (active or healed) and also certified that he/she is fit to undergo Apprenticeship Training in Railway Establishments under the Apprentices Act 1961.

Signature of Medical Officer : ....

Name of Medical Officer : ....

Registration No. : ....

Designation : ....

Name of Central/State Gove. Hospital : ....

Seal of Medical Officer signing the certificate : ....

यह प्रमाण पत्र एक ही पेज में दोनों साइड होना आवश्यक है।